

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 44/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र भीवाराम बाजिया (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 07, रामपुरा दूधवा, ग्राम कोछोर, तहसील-दांतारामगढ़, जिला सीकर-332406।
यहां भी
श्रीचन्द पुत्र भीवाराम बाजिया
आलमसुर बगीचा, एट आबादी लैण्ड ऑफ ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला
सीकर राज.।
2. राजू देवी पत्नी श्रीचन्द (सहऋणी)
निवासी 07, रामपुरा दूधवा, ग्राम कोछोर, तहसील-दांतारामगढ़, जिला सीकर-332406।
यहां भी
राजू देवी पत्नी श्रीचन्द
61, ढाणी बाजिया 02, उदयपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर- 332406 राज.।
3. बंशीराम पुत्र मेवाराम (जमानतकर्त्ता)
निवासी 81, माचोलिया की ढाणी, जिनावर, तहसील नावां, जिला नागौर- 332507।

**The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.**

निर्णय

निर्णय दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण श्रीचन्द, राजू देवी, बंशीराम को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

- (अ) अलमशहुर बगीचा, एट आबादी लैण्ड ऑफ ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 16.66 वर्गगज है। मालिकाना हक श्रीचन्द का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :-
पूर्व में :- हाउस ऑफ हरीशंकर, कैलाश एवं रामावतार,
पश्चिम में :- शॉप ऑफ हीरालाल सिक्का,
उत्तर में :- लैण्ड ऑफ हरीशंकर, कैलाश एवं रामावतार,
दक्षिण में :- पब्लिक रास्ता,

को बंधक रखकर 10,00,000/-रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 02.03.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण श्रीचन्द, राजू देवी, बंशीराम की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक

- (अ) अलमशहुर बगीचा, एट आबादी लैण्ड ऑफ ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 16.66 वर्गगज है। मालिकाना हक श्रीचन्द का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :-
पूर्व में :- हाउस ऑफ हरीशंकर, कैलाश एवं रामावतार,
पश्चिम में :- शॉप ऑफ हीरालाल सिक्का,

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

उत्तर में :- लैण्ड ऑफ हरीशंकर, कैलाश एवं रामावतार,
दक्षिण में :- पब्लिक रास्ता,

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 19 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official